

HIGHER COSTS

Weddings set to pinch due to GST: Assocham

■ All services have become dearer in the new tax regime

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, OCT. 23

The upcoming wedding season starting in November may be impacted by 10 to 15 per cent particularly wedding services like marriage hall booking, tent booking, confectionery services and photography among others, said industry chamber Assocham on Monday.

"Factors like demonetisation and the Goods and Services Tax (GST) are likely to impact the upcoming wedding season in India as people will have to shell out more on buying jewellery and apparels, at salons and beauty parlours, photography, even for hiring venues like hotels/marriage palaces, courier and other related services," said Assocham.

The chamber said that the average cost of many wedding services like shopping, tent booking and food services among others is higher due to GST.

"The GST rate on most of these services is from 18 to 28 per cent. Before GST, most of the wedding service businesses like tent services, confectionery booking and others were using unregistered bills on which they didn't have to pay any tax," it said.

It said all footwear above ₹500 is taxed at a

THE BIG FAT INDIAN SHAADI

■ ASSOCHAM SAID that destination wedding, which accounts for 10 per cent of the industry, is unlikely to have any adverse impact from GST as it is already a very costly affair

■ THE ESTIMATED cost of a wedding in India with no expenses spared could be between ₹3 lakh to ₹8 crore

THE INDIAN WEDDING INDUSTRY IS ABOUT ₹1 TRILLION AND IS GROWING AT 25 TO 30% ANNUALLY.

Factors such as demonetisation and GST are likely to impact the upcoming wedding season in India as people will have to shell out more on buying jewellery and apparels, at salons and beauty parlours, photography, even for hiring venues like hotels/marriage palaces, courier and other related services

— ASSOCHAM



whopping 18 per cent.

"Tax on gold and diamond jewellery has increased from 1.6 per cent to 3 per cent. The booking for a 5-star hotel will cost 28 per cent extra in the form of GST. Also, event management service, will have to pay an additional 18 per cent GST on the cost. GST on marriage garden and hall booking is also 18

per cent, same as most other wedding services," it said.

Currently, the Indian wedding industry is about ₹1 trillion and is growing at 25 to 30 per cent annually.

The estimated cost of a wedding with no expenses spared could be between ₹3 lakh to ₹8 crore, in India, said the chamber.

"Destination wedding or the wedding tourism sector in India which accounts for less than 10 per cent share in the overall industry is not likely to face much adverse impact of GST and demonetisation as it is already a very costly affair which mainly lures foreigners, NRIs, rich people for exotic weddings, says the paper.

जीएसटी के कारण शादियां 15 फीसद तक होंगी महंगी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा)।

प्रमुख वाणिज्य व उद्योग मंडल एसोचैम के मुताबिक माल व सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में शादियों का बजट बढ़ने जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद नवंबर से शुरू होने जा रहे शादियों के मौसम के लिये टेंट बुकिंग, शादी के लिए हाल की बुकिंग, फोटोग्राफी, खाने-पीने की सेवाएं 10 से 15 फीसद तक महंगी हो जाएंगी।

एसोचैम के मुताबिक जीएसटी के वारं में आने के बाद शादियों से जुड़ी ज्वालनर सेवाएं महंगी हो जाएंगी। शादी की खरीदारी हो, टेंट की बुकिंग हो या फिर कैटरिंग सेवाएं जीएसटी में

1000 25-30%

अरब रुपए का है भारत में शादियों से जुड़ा समूचा कारोबार

की दर से बढ़ रहा है यह कारोबार सालाना



शादियों के लिए खुले पार्क, होल वीरह बुक कराने पर भी 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया गया है।

ज्वालनर सेवाओं पर 18 से 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाना। इसके परिणामस्वरूप शादियों का खर्च बढ़ जाएगा। उद्योग मंडल के दस्तावेज के मुताबिक नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू होने से शादियों की खरीदारी महंगी हुई है। आभूषणों की खरीदारी से लेकर ब्यूटी पालर, फोटोग्राफी,

होटल और शादी के लिए होल बुक कराना महंगा हुआ है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि विशेष स्थानों, सेल्स में होने वाली शादी और शादी-पर्यटन पर जीएसटी का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं लगती है। इस तरह की शादियों का कुल कारोबार में 10 फीसद हिस्सा है। आलीशान होटलों और पर्यटक स्थलों पर होने वाली शादियां पहले ही काफी महंगी होती रही हैं। एसोचैम दस्तावेज के मुताबिक 500 रुपए से ज्यादा कीमत के चप्पल-जूते पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगता है। सोने और हीरे के आभूषण पर भी कर 1.6 फीसद से बढ़कर तीन फीसद हो गया है।

GST से बिगड़ेगा शादी का बजट

हॉल, गार्डन और टेंट बुकिंग पड़ेगा महंगा, 10 से 15 फीसदी का असर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नोटबंदी और जीएसटी का असर इस बार नवंबर से शुरू हो रहे शादियों के सीजन पर पड़ना तय है। जीएसटी लगने से शादी का बजट 10 से 15 फीसदी तक बढ़ सकती है। इंडस्ट्री चैम्बर एसोसिएम की रिपोर्ट के अनुसार शादी के लिए हॉल, गार्डन बुकिंग, टेंट बुकिंग और फर्निचर जैसी वेडिंग सर्विसेज पर नोटबंदी और जीएसटी का 10 से 15 प्रतिशत असर होगा। एसोसिएम के मुताबिक भारत में एक शादी पर औसतन खर्च 3 से 8 लाख रुपये का आता है। अब औसतन खर्च बढ़कर 3.45 लाख रुपये से 9.20 लाख रुपये हो जाएगा।

एसोसिएम का कहना है कि जीएसटी के चलते शापिंग, फूड, टेंट जैसी सर्विसेज का औसत खर्च बढ़ने का अनुमान है। इनमें अधिकांश सर्विसेज पर जीएसटी रेट 18 से 28 फीसदी है। जीएसटी से पहले ऐसी कई सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, क्योंकि कई काम अनरजिस्टर्ड

बिल्स पर होते थे। ज्वेलरी, कपड़े और फुटवियर खरीदने पर भी जीएसटी की मार लोगों को सहन करनी पड़ेगी। 500 रुपये से ज्यादा के फुटवियर पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर टैक्स, जीएसटी लगने के बाद 1.6 फीसदी से बढ़कर 3 फीसदी हो गया है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी 18 फीसदी टैक्स लगता है। होटल के किराये बढ़ गए हैं। कई लोग कार्ड भेजने के लिए कूरियर सर्विस का भी सहारा लेते हैं। कूरियर सर्विस भी पहले की तुलना में महंगी हो गई है।

मिडिल क्लास के लिए मुसीबत

रिपोर्ट के अनुसार आम तौर पर मिडिल क्लास शादी में अपने बचत और निवेश किए गए पैसों को खर्च करता है। या फिर वह कुछ कर्ज भी लेता है। जीएसटी से शादी का बजट बढ़ने से उसको अपने खर्च कम करने पड़ रहे हैं या फिर उधार लेना पड़ रहा है। ये दोनों ही बातें ही उसके लिए कष्टदायक है।

खर्च ज्यादा होने का असर

एसोसिएम का कहना है कि अगर लोग शादी में जीएसटी की मार सहते हुए खर्च से समझौता नहीं करते तो इसका सीधा असर उनकी सेविंग यानी बचत पर पड़ेगा। जो पैसा उनकी बचत में जाना चाहिए, वह पैसा अब उधार को चुकाने में जाएगा।

नोटबंदी, जीएसटी से विवाह उद्योग पर 10-15 फीसदी असर पड़ेगा : एसोचैम

- वर्तमान में भारतीय विवाह उद्योग करीब 10 खरब रुपए का है
- अधिकांश सेवाओं पर 18-28 प्रतिशत है जीएसटी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (एजेंसियां)। नोटबंदी के साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण आगामी वैवाहिक मौसम में विवाह उद्योग पर 10-15 प्रतिशत का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसोचैम ने सोमवार को यह कहा।

वर्तमान में भारतीय विवाह उद्योग करीब 10 खरब रुपए का है और यह सालाना 25-30



प्रतिशत बढ़ रहा है। एसोचैम ने कहा कि अनुमान के मुताबिक, जीएसटी के कारण खरीदारी, टेंट की बुकिंग, खानपान सेवाओं आदि की औसत कीमत बढ़ गई है। इनमें से अधिकांश सेवाओं पर 18-28

प्रतिशत जीएसटी है। जीएसटी से पूर्व टेंट, हलवाईयों की बुकिंग जैसी विवाह से जुड़ी कई सेवाओं का भुगतान अपंजीकृत बिल के माध्यम से किया जाता था, जिस पर उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। एसोचैम ने हालांकि

अनुमान के मुताबिक, जीएसटी के कारण खरीदारी, टेंट की बुकिंग, खानपान सेवाओं आदि की औसत कीमत बढ़ गई है :

एसोचैम

कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर जीएसटी और नोटबंदी का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भारत के विवाह उद्योग में 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी है और खर्चीली होने के कारण अधिकतर विदेशी, एनआरआई, संपन्न लोग ही डेस्टिनेशन वेडिंग्स की सेवाएं लेते हैं।

